राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लाली देवी बनाम गोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	930/2025	

23/12/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो।

26/12/2025 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30/04/2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होना धारित करते हुए ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन वाद की वादिया द्वारा वादग्रस्त भूमि को स्वयं की पैतृक भूमि होना अंकित कर घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के परिक्षण उपरान्त वादियागण के पिता जगदीश की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमि वादियागण के भाईयो के नाम जरिये विरासत दर्ज राजस्व रिकार्ड होने तथा तत्पश्चात वादियागण के भाईयो द्वारा वादग्रस्त भूमि का आगे अन्य व्यक्तियो को विधिवत बैचान/हस्तान्तरण कर देने तथा वादग्रस्त भूमि पर आवासीय योजना विकसित होने जाने के फलस्वरूप वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रश्नाधीन वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में कोई हक़ अधिकार निहित नही होना प्रतीत होने से वाद के frivolous वाद की श्रेणी में होने से वादियागण को वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होने एवं वादियागण का वाद बार्ड बाई लॉ होना धारित कर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वादियागण के वाद को ख़ारिज किया गया है। जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/04/2025 में कोई त्रुटी जाहिर नही होने से उन्हें यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।